न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर

पीठासीन अधिकारी : शकुन्तला, आर.ए.एस.

प्र.सं. 24/2024
जी.सी.एस.एस. नं. : 2024/53

सुरजा देवी आदि बनाम साहबराम आदि
वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,53,92ए राज.काश्त.अधि., 1955

उपस्थिति :–

1. श्री प्रेम चुघ, अधिवक्ता प्रार्थी(प्रतिवादी सं. 1,2)
2. श्री ओम धायल, अप्रार्थी(वादीगण)

–:: आदेश प्रार्थना पत्र ::–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सीपीसी

दिनांक : 30.04.2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि –

1. प्रतिवादी सं. 1 व 2 जरिए अधिवक्ता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र मेंवादीगण के द्वारा प्रश्नगत भूमि औमप्रकाश व शंकरलाल को बहिस्सा बराबर बराबर आवंटित होना बताते हुए असमान विभाजन से गलत दर्ज होने व गलत दर्ज भूमि के आगे बेचान होना बताते हुए अनवानी वाद पेश किया है जो वाद का मुख्य आधार असमान विभाजन है जिसे चुनौति सक्षम न्यायालय में दी जा सकती है जो कि विभाजन आदेश तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर के द्वारा पारित किया गया है जिसके खिलाफ न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिए वाद पत्र विधि द्वारा बाधित होने से काबिल खारिजी के है। वाद पत्र में बैयनामा जो कि एक पंजीकृत दस्तावेज है को भी चुनौति दी गई है वाद का मुख्य आधार बनाया गया है जिसे बिना सक्षम न्यायालय से निरस्त करवाये अनवानी वाद लाने का वादीगण को अधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिए वाद विधि द्वारा बाधित होने से काबिल खारिजी के है। वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादकारण प्राप्त नहीं है वाद पत्र बिना वाद कारण के न्यायालय में पेश होने से काबिले खारिजी के है। वाद पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।
2. वादीगण जरिए अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के पति/पिता/ससुर/दादा व प्रतिवादी सं. 2 शंकरलाल के नाम चक 4 बीजीएम का मु.नं. 146/385 कि.नं. 1 ता 25 में 24 बीघा 10 बिस्वा कमाण्ड भूमि आवंटित हुई थी। जिसका विभाजन समान रूप से दोनों भाईयों के बीच हुआ था। लेकिन राजस्व रिकार्ड में औम प्रकाश के नाम से 11 बीघा 19 बिस्वा के स्थान पर 11 बीघा 11 बिस्वा भूमि ही दर्ज है। इसलिए वादीगण उक्त वाद पेश करने के अधिकारी है। वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद हेतुक प्राप्त है। वादीगण द्वारा पेश वाद पत्र में वाद कारण का स्पष्ट उल्लेख किया है। प्रतिवादीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र वाद में देरी करने के उद्देश्य व उलझाव पैदा करने क उद्देश्य से पेश किया है जो काबिल खारिज है। प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

बहस वकील उभयपक्ष प्रार्थना पत्र पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की बहस के दौरान पुनरावृत्ति की। बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। वादीगण के द्वारा अपने वाद पत्र में कथन अभिलिखित किये है कि औमप्रकाश व शंकरलाल को 24.10 बीघा भूमि प्रत्येक बहिस्सा बराबर आवंटित हुई थी। शंकरलाल के द्वारा भूमि औमप्रकाश को भूमि का विभाजन करवाने का कहकर औमप्रकाश के हस्ताक्षर करवा लिए तथा विभाजन [illegible] 12 [illegible] स्थान पर 11 बीघा 11 बिस्वा भूमि ही काश्त योग्य दी और 9 बि[illegible]ाला की औमप्रकाश के नाम दर्ज करवा दी शेष भूमि शंकरलाल [illegible] ली। उसे आगे प्रतिवादी सं. 1 को बेचान कर दी। प्रतिवादी सं. 2 के [illegible] 11 बीघा 19 बिस्वा भूमि काश्त योग्य दर्ज है जबकि औम प्रकाश के नाम से मात्र 11 बीघा 11 [illegible] भूमि ही दर्ज है। इस प्रकार असमान विभाज[illegible]खे से किया गया है। जो [illegible] अधिक ... वादीगण को भूमि का हस्तांतरण वादीगण के अधिकारों पर प्रारम्भ से शून्य है। वादीगण को विवादित भूमि में 12 बीघा 5 बिस्वा भमि का खातेदार टिनेन्ट घोषित करने का अनुतोष चाहा है। प्रतिवादीगण का कथन है कि भूमि का विधिक रूप से विभाजन

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:34:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

हुआ है। जिसे न्यायालय हाजा में चुनौति नहीं दी जा सकती तथा भूमि जरिए पंजीबद्ध बैयनामा के हस्तांतरित होने के कारण पंजीबद्ध दस्तावेज को शून्य करवाए बिना न्यायालय में वादीगण को वाद पेश करने का अधिकार नहीं है।

4. वादीगण के वाद का मुख्य आधार विवादित भूमि के विभाजन पर आधारित है। पत्रावली पर उपलब्ध प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज छायाप्रति नामान्तरकरण सं. 287 चक 4 बीजीएम दिनांक 23.11.2009 का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार विवादित भूमि का शंकरलाल व औमप्रकाश के मध्य भूमि का किलेवाईज विभाजन कर पृथक पृथक खाता में आकन खाता विभाजन आदेश के तहत नामान्तरण स्वीकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक वर्ष 2009 का है, जिसे प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से वादीगण ने चुनौति दी है। यदि वादीगण उक्त खाता विभाजन से संतुष्ट नहीं थे तो वे सक्षम न्यायालय में अपील प्राप्त कर अनुतोष प्राप्त कर सकते है। अतः स्पष्ट है कि प्रकरण में वादीगण को प्रतिवादीगण को वादकारण हासिल नहीं है। हस्तगत वाद के माध्यम से वादीगण वांछित अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। वाद पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य है।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रतिवादी सं. 1–2 अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता स्वीकार किया जाता है तथा वाद पत्र वादीगण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 30.04.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

शकुन्तला
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:34:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner